अपील सूचना अधिकार संख्या 150/2020 (GCMS 2020/150 श्री हरपाल सिह सुधन पुत्र श्री महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी चेम्बर नं. 5ए कचहरी परिसर, रायसिंहनगर बनाम प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (कलक्ट्रैट), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर पर प्रत्येक दिन के लिए शास्ति अधिरोपित करने एवं बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.11.2020 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> मुतं. माल पत्रावली संख्या 285 दिनांक 16.07.1979 निर्णय दिनांक 13.08.1979 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर प्रीतम सिंह पुत्र हकुमत सिंह में 1. निर्णय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर 2. निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर 3. निर्णय राजस्व मण्डल, अजमेर 4. अन्य समस्त निर्णय 5. फर्द अहकाम शुरू से अंत तक 6. वाद पत्र 7. जवाब दावा हकूमत सिंह 8 ब्यान हकूमत सिंह 9. अन्य समस्त पत्रावली [illegible]

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रिकार्ड शाखा/2020/339 दिनांक 17.12.2020 से अपी[illegible] जवाब निम्नानुसार दिया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन पुत्र श्री महताब सिंह जाति ब्राह्मण निवासी चै. नं. 5ए कचहरी परिसर, रायसिंहनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 330 दिनांक 01.12.2020 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। (प्रति संलग्न है) अतः श्रीमान्जी उक्त अपील को निरस्त कर दाखिल दफ्तर करने की कृपा करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 330 दिनांक 01.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्नक आपका प्रार्थना पत्र इस कार्यलय को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में वर्णित सूचना जो काफी पुरानी है। अतः आप द्वारा चाही गई वांछित रिकॉर्ड को तलाश किया जा रहा है। रिकॉर्ड प्राप्ति होने पर अविलम्ब आपको उपलब्ध करवा दी जावेगी।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.12.2020 को दिया जा चुका है कि वांछित सूचना काफी पुरानी है, तालाश की जा रही है, रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उपलबध करवा दी जावेगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जाता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिकल्पना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार,

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हेए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तालाश कर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:43 IST
Reason: SelfAttested